न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—115/2019/223 (2019/00115)

1. श्रीमती दाखू देवी पत्नि स्व0 देवीसिंह,
2. तृष्णा पुत्री स्व0 देवीसिंह,
3. दुर्गा पुत्री स्व0 देवीसिंह,
समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम खेडाकला (बड़ाखेड़ा) हाल बामनहेड़ा, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. खंगारसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बज्जा, जाति रावत,
2. किशनसिंह पुत्र विजयसिंह उर्फ बज्जा (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1— सुगना देवी बेवा किशनसिंह,
2/2— बलवीर सिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह,
2/3— राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 किशनसिंह,
2/4— सुनिता पुत्री स्व0 किशनसिंह,
2/5— रेखा पुत्री स्व0 किशनसिंह,
2/6— शीला पुत्री स्व0 किशनसिंह,
2/7— मंजू पुत्री स्व0 किशनसिंह,
3. देवी पुत्री खूमसिंह,
4. पन्नी पुत्री खूमसिंह,
समस्त निवासीगण ग्राम खेडाकला (बडाखेडा), तह0 ब्यावर, जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, दिनांक 2.6.2014 अंतर्गत वाद संख्या 83/2007.

उपस्थितः—

1. श्री एहतेराम चिश्ती, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दिलीपसिंह राठौड़ वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4.
3. रेस्पो0 संख्या 2/1 से 2/7 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—22.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत वाद में वर्णितानुसार भूमियां कुल किता 30 कुल रकबा

19–03–00 जो कि ग्राम खेडाकंला (बडाखेडा) तहसील ब्यावर में स्थित है बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त भूमियों में वादी संख्या 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादिया संख्या 3 व 4 का एवं स्वंय देवीसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का 1/2 हिस्सा निहित है। स्व0 देवीसिंह अपने पिता स्व0 विजयसिंह उर्फ बज्जा के जीवनकाल में ही अपने चाचा स्व0 खूमसिंह के गोद चला गया था तथा स्व0 खूमसिंह की चल व अचल सम्पति उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी । स्व0 देवीसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 ने राजस्व रिकार्ड में तथ्यों को छिपाकर नामांतकरण के जरिये रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, जबकि उनका वादग्रस्त भूमि में 1/18 हिस्सा ही प्रत्येक का निहित है । नामांतकरण के दौरान वादीगण को सुनने का अवसर प्रदान नहीं किया गया । अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2014 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर वादी संख्या 1 से 4 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने का अधिकारी होने का निर्धारित कर राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार पृथक–पृथक खाते खोलकर व लगान कायम कर, नक्शा तरमीम कर तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपीलांटस ने अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के साथ न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम एक, ब्यावर, जिला अजमेर के दीवानी अपील संख्या 3/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2017 की प्रति पेश कर निवेदन किया कि उक्त दस्तावेज विधिक निर्णय की प्रति है जो मौजूदा अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने में सहायक एवं आवश्यक दस्तावेज है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जावे ।

5. हमनें अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 एवं संलग्न न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम एक, ब्यावर, जिला अजमेर के दीवानी अपील संख्या 3/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2017 का अवलोकन किया । चूंकि उक्त निर्णय की प्रति न्यायालय अपर जिलाधीश, क्रम एक, ब्यावर की प्रति है जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है तथा उक्त निर्णय के द्वारा स्व0खूमसिंह की पुत्रियों द्वारा स्व0 देवीसिंह के पक्ष में की गई वसीयत को सही माना है । उक्त निर्णय की प्रति प्रस्तुत प्रकरण को निर्णित करने में सहायक दस्तावेज होने से न्यायहित में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम एक, ब्यावर, जिला अजमेर के दीवानी अपील संख्या 3/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 7.7.2017 को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वादीगण ने अधी0न्याया0 में सजरा गलत प्रस्तुत किया है क्योंकि देवीसिंह कभी भी उसके चाचा खूमसिंह के गोद नहीं किया व राजस्व रिकार्ड में भी देवीसिंह को विजयसिंह का ही पुत्र दर्ज कर रखा है । देवीसिंह भारतीय सेना में कार्यरत थे, जिसके

रिकार्ड में भी मृतक देवीसिंह को विजयसिंह का ही पुत्र अंकित कर रखा है । ऐसी स्थिति में स्व0 विजयसिंह की कृषि भूमि में स्व0 देवीसिंह तथा वादी खंगारसिंह व श्किानसिंह तीनों का 1/3, 1/3 हिस्सा है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि स्व0 खूमसिंह के हिस्से की समस्त कृषि भूमि व चल–अचल समति प्रतिवादी/अपीलांटस स्व0 देवीसिंह के हक में रजिस्टर्ड वसीयतनामे के आधार पर आयी है जो स्व0 देवीसिंह को अपने पिता स्व0 विजयसिंह की कृषि भूमि में मिलने वाले अधिकार से वंचित नहीं करती है । देवीसिंह का हिस्सा उनके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादीगण/अपीलांटस प्राप्त करने का अधिकारी है । वादीगण ने स्व0 देवीसिंह के अपने चाचा खूमसिंह के जाना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्यों से सिद्ध नही किया था । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने यह भी तय कर दिया कि पुश्तैनी भूमि होने से खूमसिंह को अपने स्वंय के हिस्से अर्थात् 1/2 हिस्से का 1/3 हिस्सा ही यथा कुल का 1/6 हिस्सा ही वसीयत करने का अधिकार था । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष अविधिक है क्योंकि वसीयत दिनांक 7.1.1969 रजिस्टर्ड वसीयत है जिसे बिना वाद अनुतोष में शामिल किये बिना तथा इस वसीयत के बाबत् आक्षेप प्रस्तुत किये बिना मात्र विवेचना के आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत को अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री में अविधिक बताया या व खूमसिंह के 1/2 हिस्से में स्वंय के हिस्से तक ही वैद्य माना तथा खूमसिंह की दोनों पुत्रियों वादी संख्या 3 व 4 देवी व पन्नी को बराबर का हिस्सेदार मान लिया है, यह गम्भीर विधिक त्रुटि है । सन् 1969 में पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों का कोई हक, अधिकार नहीं थे तथा जरिये वसीयत खूमसिंह ने स्व0 देवीसिंह को जो अधिकार दिये थे वे अंतिम हो चुके थे । पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों को हक, अधिकार वर्ष 2005 के संशोधन के पश्चात् अर्जित हुए है, यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव का नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये जाते समय तनकी संख्या 5 अनुतोष की विवेचना मे ंखसरा संख्या 4591 व 4595 में दवीसिंह की वल्दियत खूमसिंह मानते हुए बंटवारा किया जो न्यायोचित नहीं है क्योंकि अधी0न्याया0 स्वंय ने तनकी संख्या 1 के निर्णय में यह माना है कि देवीसिंह को खूमसिंह के गोद जाना वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 का वाद विषयक आराजी में वसीयत के अनुसार संपूर्ण हिस्सा तय कर बंटवारा की डिक्री पारित की जावे तथा वादी संख्या 3 व 3 देवी व पन्नी पुत्रियां खूमसिंह के हक, अधिकार का हिस्सा जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री में तय किया गया है उसे निरस्त किया जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । स्व0 देवीसिंह अपने पिता विजयसिंह उर्फ बज्जा के जीवनकाल में ही अपने चाचा स्व0 खूमसिंह के अपनी चाची हमीरी की सहमति से गोद चला गया था तथा स्व0 खूमसिंह की चल व अचल सम्पति उत्तराधिकार के रूप में स्व0 देवीसिंह को प्राप्त हो गई थी जिससे उसका मूल पिता की सम्पति में कोई हक व अधिकार नहीं रह गये थे । अपीलांटस ने तथ्य छिपाकर नामांतकरण के जरिये रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था जबकि अपीलांटस का वादग्रस्त आराजियात में 1/18 हिस्सा ही निहित है । बहस में यह भी कथन किया कि नामांतकरण तस्दीक करते समय रेस्पो0 को सुना भी नहीं गया था जिससे उक्त नामांतकरण भी प्रारंभ से अवैध

एवं शून्य है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण संख्या 1 व 2 जो कि मृतक देवीसिंह के सगे भाई है तथा वादी संख्या 3 व 4 खूमसिंह की पुत्रियां है ने देवीसिंह के वारिसान के विरूद्ध इस आशय से वाद पेश किया कि विवादित भूमियों में विजयसिंह व खूमसिंह का आधा–आधा हिस्सा था । विजयसिंह के देवीसिंह, खंगारसिंह व किशनसिंह तीन पुत्र हुए व खूमसिंह के देवीसिंह पुत्र एवं देवी व पन्नी पुत्रियां उत्पन्न हुई । इस प्रकार विजयसिंह के हक व हिस्से में तीनों भाई देवीसिंह, खंगारसिंह व किशनसिंह हिस्सेदार है तथा खूमसिंह के हिस्से में देवीसिंह व दोनो पुत्रियां देवी व पन्नी हिस्सेदार है तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जावे । यह भी कथन किया कि विजयसिंह का पुत्र देवीसिंह चाचा खूमसिंह के गोद चला गया इसलिये उसका विजयसिंह की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है । जवाबदावे में प्रतिवादीगण ने कथन किया कि देवीसिंह उसके चाचा खूमसिंह के कभी गोद नहीं गया बल्कि खूमसिंह द्वारा एक पंजीबद्ध वसीयतनामा दिनांक 1.7.1969 को देवीसिंह के हक में अपनी समस्त चल व अचल सम्पति के संबंध में निष्पादित किया गया इस कारण खूमसिंह का हिस्सा बरूह वसयीत देवीसिंह को प्राप्त हुआ है जिसमें वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं इस कारण वादी का वाद खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 3 के निर्णय में यह माना है कि नामांतकरण संख्या 928 दिनांक 20.12.2006 जो देवीसिंह की मृत्यु उपरांत उसकी विरासत के तहत खोला गया है जो उसके हक व हिस्से तक सही है एवं तनकी संख्या 1 में निर्णित किया कि देवीसिंह कभी भी खूमसिंह के गोद नहीं गया एवं न ही इस बाबत् कोई साक्ष्य ही है । अधी0न्याया0 द्वारा भूमियों को पुश्तैनी भूमि मानते हुए खूमसिंह के आधे हिस्से में दोनो पुत्रियों देवी व पन्नी का भी देवीसिंह के साथ हक व हिस्सा मानते हुए वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष वसीयत दिनांक 1.7.1969 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई थी एवं इसी छाया प्रति के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा खूमसिंह की वसीयत विजयसिंह के पक्ष में मानते हुए निर्णय पारित कर दिया गया जबकि वसीयत को वसीयत के गवाहों से प्रमाणित व सिद्ध किया जाना विधि अनुसार अतिआवश्यक है किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा न तो असल वसीयत पत्रावली पर ली गई एवं न ही वसीयत की प्रमाणिकता बाबत् वसीयत के गवाहों के बयान लिये गये । बिना प्रमाणिकता के ही वसीयत के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 2005 के अनुसार पुत्रियों का कोपार्सनर की हैसियत से जन्म से अधिकार दिया गया है परन्तु 2005 में पिता के जीवित रहने पर ही उक्त संशोधित अधि0 के अनुसार पुत्रियों का हक व अधिकार प्राप्त होते है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में खूमसिंह की मृत्यु कब हुई इस बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फिर भी अधी0न्याया0 द्वारा वादिया संख्या 3 व 4 को खूमसिंह की भूमियों में हक व हिस्सा दिया गया है जो संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 2005 की मंशा के विपरीत है । अधी0न्याया0 द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली गई है एवं इस विधिक बिन्दु पर बिना साक्ष्य लिये ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री

निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6. 2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निद्रेश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 22.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर